जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, चतरा।

शिकायत संख्या– 07108225500001

अपीलकर्त्ता का नाम– शिवकुमार शर्मा, ग्राम–हरहद, पो0–जोगियारा प्रतापपुर, जिला– चतरा

वाद सं0:–05/2024

अर्जीकार– शिवकुमार शर्मा बनाम जिला शिक्षा अधीक्षक, चतरा

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
10.12.2024	—:आदेश:—	

अभिलेख उपस्थापित।

राष्ट्रीय खाद्य आयोग पोर्टल https: jharkhandsfc.In/admin/ dashboard/dashboard_dgro.php पर आवेदनकर्त्ता **शिवकुमार शर्मा, ग्राम–हरहद, पो0–जोगियारा प्रतापपुर, जिला–चतरा** द्वारा मेनु के अनुसार भोजन न मिलने के संबंध में शिकायत दर्ज की गयी है। प्राप्त शिकायत के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक, चतरा से प्रतिवेदन की मांग की गई। तद्नुसार प्राप्त शिकायत के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक, चतरा से प्रतिवेदन की मांग की मॉग की गई। तद्नुसार प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रतापपुर के पत्रांक–31, दिनांक–02.12.2024 जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जिसमें उल्लेखित किया गया है कि उ0म0वि0 हरहद, प्रखण्ड प्रतापपुर का उक्त शिकायत का जॉच सी0आर0पी0 द्वारा कराई गई। स्थलीय जॉच दिनांक–02.12.2024 को किया गया। स्थलीय जॉच के समय विद्यालय के सचिव, संयोजिका, अध्यक्ष एवं रसोईया एवं घोड़दौड पंचायत के वार्ड नं0–13 के वार्ड सदस्य उपस्थित थे। उपस्थित लोगों को शिकायत को पढ़कर बताया गया। इस प्रकार का शिकायत विद्यालय में नहीं पाया गया। सभी सदस्यों ने बताया कि विद्यालय में एम0डी0एम0 नियमित चल रहा है एवं मेनू का पालन किया जा रहा है। एम0डी0एम0 राशि का निकासी विद्यालय में बच्चों के एम0डी0एम0 के आधार पर किया गया है। विद्यालय में वित्तीय अनियमितता से संबंधित शिकायत नहीं पाया गया। साक्ष्य के रूप में वार्ड सदस्य श्री निरज कुमार पासवान द्वारा लिखित रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि शिकायकर्त्ता द्वारा लगाये गये आरोप गलत है एवं स्थलीय जॉच के दौरान उपस्थित छात्रों का हस्ताक्षर का प्रतिवेदन संलग्न किया गया है।

अतः शिकायतकर्त्ता द्वारा लगाये गये आरोप को प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रतापपुर एवं वार्ड सदस्य द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में आरोप को गलत/निराधार बताया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
–सह–
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
चतरा।

अपर समाहर्त्ता,
–सह–
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
चतरा।